पत्रांक–2ब० / जला०–01–01 / 2019 81 / न०वि०एवंआ०वि०

स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, औरंगाबाद।

पटना, दिनांक– 13.3.19

विषयः– **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट– B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹10189.397 लाख (एक अरब एक करोड़ नवासी लाख उनचालीस हजार सात सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹7426.66300 लाख (चौहत्तर करोड़ छब्बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रू०) मात्र में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक–25. जून, 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-II में जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं SAAP-III में औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. AMRUT योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹116480.00 लाख का वहन किया जाएगा। AMURT योजना के अन्तर्गत अबतक 33 जलापूर्ति योजना, 03 ड्रेनेज योजना एवं 29 पार्क विकास योजना सहित कुल–65 योजनाएँ स्वीकृत है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि ₹231815.66 लाख है जिसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। इसमें केन्द्रांश की राशि ₹110851.07 लाख की व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसके कारण जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II की पूरी योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजना के अधीन किया जाना संभव नहीं है।

तदालोक में जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–A को AMRUT योजना के अधीन और जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–B एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–B को AMRUT योजना के तर्ज पर राज्य योजना के अधीन कराने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 15.01.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं०– 18 के रूप में प्रदान की गई है। इससे संबंधित संकल्प विभागीय ज्ञापांक– 185, दिनांक– 18.01.2019 द्वारा निर्गत है।

3. औरंगाबाद शहर में जलापूर्ति योजना हेतु AMRUT योजना के अधीन जलापूर्ति योजना फेज–I स्वीकृत है, इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को छोड़कर पूरे शहर में जलापूर्ति हेतु शेष कार्यों को औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–A एवं पार्ट–B के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I में शहर में ही बोरिंग का प्रावधान है, लेकिन शहर में जल स्रोत की कमी के कारण औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II के लिए बारूण से जल लाया जाना है जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बारूण से जल लाये जाने के कारण योजना की प्राक्कलित राशि में वृद्धि हो रही है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I के अंतर्गत निम्न कार्य किया जा रहा है–

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I	6 Nos Tube Wells, Rising Main-6856 M, Storage Reservoirs-4 Nos of 47.50 Lac Liter Capacity, Distribution Pipe Line-35.353 Km, HH connection - 15782 Nos, SCADA-No.	2977.10

औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नवत् है–

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट A	Elevated Service reservior (ESR)/OHT-7 Nos., Distribution Network- 96.68 Km. House Cannection - 1400	3353.98
2	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट B	High yielding Tubwell - 12 Nos., Raw water Pump - 1 Set., Approch Road- 779.90 M. (for CWR, ESR)., Clear Water Pipe line (CWR At Barun- 20.10 Km., (600 mm dia. DI K-9 Pipe). Constructions of Gangway- 1 set. (3000 m long 1 m wide), Lifting Arrangment 2 set., Chlorinator (200 lit) - 1 Nos., Construction of chlorinator room 1 No,. Stand Post - 20 Nos., Master Elevated Reservior - 1 No. (1270 KL) Intermediate Pumping stati on - 3 Nos., (Zone- III, Zone- V, Zone- VI), Clear water reservior - 1Nos at Barun (1340 kL), Clear water Pump - 1 set, Clean water Pumping Main - 630 M. (250 mm dia, 600 mm dia), Clear water Gravity Main- 12.012 Km (250mm dia, 750 mm dia) Distrubution Network 77.81 Km.(Zone I, III&IV) House Canncetion - 8340 Nos., SCADA - 8 Nos.	10189.397

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–A, योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना पार्ट–A फेज–II (SAAP-III)	3049.764	304.216	3353.98	1524.882	914.929	609.953	304.216

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–B	9283.329	906.068	10189.397	7426.663	1856.666	906.068

4. औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–B की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प सं०– 185, दिनांक– 18.01.2019 की कंडिका– 6 के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्रथम किस्त 20 प्रतिशत, द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त 40 प्रतिशत आवंटित किया जाना है। अतः वर्णित स्थिति में राज्य योजनान्तर्गत औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹10189.397 लाख (एक अरब एक करोड़ नवासी लाख उनचालीस हजार सात सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹7426.66300 लाख (चौहत्तर करोड़ छब्बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रू०) मात्र में से विभागीय राज्यादेश सं०–126 दिनांक–18.3.19 के आलोक में तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यांश मद की 20 प्रतिशत राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित/स्वीकृत राशि	राज्यांश मद की स्वीकृत राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर परिषद्, औरंगाबाद	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट– B	10189.397	7426.663	1485.33260	5968.3304

अर्थात कुल आवंटित राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र।

5. उक्त आवंटित ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक–354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. (क) उक्त आवंटित राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र में से ₹1000.00 लाख (दस करोड रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगर पालिकाओं/नगर

परिषदों को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011920101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

(ख) उक्त आवंटित राशि राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र में से ₹485.33260 लाख (चार करोड पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017890102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

(ग) उक्त आवंटित राशि ₹2265.66300 लाख (बाईस करोड़ पैसठ लाख छियासठ हजार तीन सौ रु०) मात्र में से ₹115.00000 लाख (एक करोड पन्द्रह लाख रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0103– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960103, विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

10 योजना बुडको द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी बुडको द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार होगी।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

12. **योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।**

13. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

15. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

17. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–02/2019 81 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–13.2.19

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/ नोडल पदाधिकारी, AMRUT/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

अनि।

पत्रांक–2ब० / जला०–01–02 / 2019 | 26 / न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–19-2-19

विषयः– **औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट– B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹10189.397 लाख (एक अरब एक करोड़ नवासी लाख उनचालीस हजार सात सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹7426.66300 लाख (चौहत्तर करोड़ छब्बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रू०) मात्र में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक–25. जून, 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-II में जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं SAAP-III में औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. AMRUT योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹116480.00 लाख का वहन किया जाएगा। AMURT योजना के अन्तर्गत अबतक 33 जलापूर्ति योजना, 03 ड्रेनेज योजना एवं 29 पार्क विकास योजना सहित कुल–65 योजनाएँ स्वीकृत है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि ₹231815.66 लाख है जिसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। इसमें केन्द्रांश की राशि ₹110851.07 लाख की व्यय की स्वीकृति दी जा

चुकी है। जिसके कारण जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II की पूरी योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजना के अधीन किया जाना संभव नहीं है।

तदालोक में जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–A को AMRUT योजना के अधीन और जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–B एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–B को AMRUT योजना के तर्ज पर राज्य योजना के अधीन कराने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 15.01.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं०– 18 के रूप में प्रदान की गई है। इससे संबंधित संकल्प विभागीय ज्ञापांक– 185, दिनांक– 18.01.2019 द्वारा निर्गत है।

3. औरंगाबाद शहर में जलापूर्ति योजना हेतु AMRUT योजना के अधीन जलापूर्ति योजना फेज–I स्वीकृत है, इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को छोड़कर पूरे शहर में जलापूर्ति हेतु शेष कार्यों को औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–A एवं पार्ट–B के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I में शहर में ही बोरिंग का प्रावधान है, लेकिन शहर में जल स्रोत की कमी के कारण औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II के लिए बारूण से जल लाया जाना है जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बारूण से जल लाये जाने के कारण योजना की प्राक्कलित राशि में वृद्धि हो रही है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I के अंतर्गत निम्न कार्य किया जा रहा है–

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I	6 Nos Tube Wells, Rising Main-6856 M, Storage Reservoirs-4 Nos of 47.50 Lac Liter Capacity, Distribution Pipe Line-35.353 Km, HH connection - 15782 Nos, SCADA-No.	2977.10

औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नवत् है–

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट A	Elevated Service reservior (ESR)/OHT-7 Nos., Distribution Network- 96.68 Km. House Cannection - 1400	3353.98
2	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट B	High yielding Tubwell - 12 Nos., Raw water Pump - 1 Set., Approch Road- 779.90 M. (for CWR, ESR)., Clear Water Pipe line (CWR At Barun- 20.10 Km., (600 mm dia. DI K-9 Pipe). Constructions of Gangway- 1 set. (3000 m long 1 m wide), Lifting Arrangment 2 set., Chlorinator (200 lit) - 1 Nos., Construction of chlorinator room 1 No,. Stand Post - 20 Nos., Master Elevated Reservior - 1 No. (1270 KL) Intermediate Pumping stati on - 3 Nos., (Zone- III, Zone- V, Zone- VI), Clear water reservior - 1Nos at Barun (1340 kL), Clear water Pump - 1 set, Clean water Pumping Main - 630 M. (250 mm dia, 600 mm dia), Clear water Gravity Main- 12.012 Km (250mm dia, 750 mm dia) Distrubution Network 77.81 Km.(Zone I, III&IV) House Canncetion - 8340 Nos., SCADA - 8 Nos.	10189.397

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–A, योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना पार्ट–A फेज–II (SAAP-III)	3049.764	304.216	3353.98	1524.882	914.929	609.953	304.216

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–B	9283.329	906.068	10189.397	7426.663	1856.666	906.068

4. औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–B की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प सं०– 185, दिनांक– 18.01.2019 की कंडिका– 6 के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्रथम किस्त 20 प्रतिशत, द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त 40 प्रतिशत आवंटित किया जाना है। अतः वर्णित स्थिति में राज्य योजनान्तर्गत औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत ₹10189.397 लाख (एक अरब एक करोड़ नवासी लाख उनचालीस हजार सात सौ रू०) मात्र में राज्यांश मद की राशि ₹7426.66300 लाख (चौहत्तर करोड़ छब्बीस लाख छियासठ हजार तीन सौ रू०) मात्र में से तत्काल वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यांश मद की 20 प्रतिशत राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलित / स्वीकृत राशि	राज्यांश मद की स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (5–6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर परिषद्, औरंगाबाद	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट– B	10189.397	7426.663	1485.33260	5968.3304

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा। राशि की निकासी के उपरांत संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में राशि संधारित की जायेगी। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. योजना के कार्यान्वयन का त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

9. (क) उक्त स्वीकृत राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र में से ₹1000.00 लाख (दस करोड रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–192– नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता –उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215011920101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹1485.33260 लाख (चौदह करोड़ पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रु०) मात्र में से ₹485.33260 लाख (चार करोड पचासी लाख तैंतीस हजार दो सौ साठ रू०) की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –उप शीर्ष 0102– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017890102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत की जाएगी।

10 योजना बुडको द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी बुडको द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार होगी।

11. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

12. **योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।**

13. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ की जा रही है कि जलापूर्ति की योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से किसी भी परिस्थिति में न हो।

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

15. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला० 01–02/2019 के पृष्ठ सं०–......05..../टि० पर दिनांक– 08.02.2019.. को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 06..... /टि० पर दिनांक– 09.02.2019 को प्राप्त है ।

16. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जायेगा।

18. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–02/2019 126 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–11.02.19

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रबंध निदेशक, बुडको/मुख्य अभियंता, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, औरंगाबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय योजना)/ नोडल पदाधिकारी, AMRUT/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.02.19

सरकार के विशेष सचिव।

आनं